सं0स0–7 / एम०सी०एच०–35–29 / 2021 – 317(7B)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा:– वित्त विभाग।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पटना, दिनाक–03/08/2026

विषयः– **इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में उपबंधित सहायक अनुदान–वेतन की राशि रु० 5,50,00,00,000/–(रुपये पाँच अरब पचास करोड़) में से द्वितीय किस्त के रूप में व्यय हेतु रु0 92,00,00,000/– (रुपये बानवे करोड़) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की स्थापना राज्य में अतिविशिष्ट विषयों में उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाओ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सतत शिक्षा के विकास करने एवं चिकित्सा शास्त्र विषयों के क्षेत्र मे सेवा, अनुसंधान और शिक्षा को बढावा देने के निमित्त बिहार अधिनियम संख्या 10,1984 द्वारा की गई थी। सरकार द्वारा संस्थान में सस्ते दर पर बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के स्थापना व्यय का वहन करने हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से सहायक अनुदान देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। संस्थान मे मेडिकल एव नर्सिंग कॉलेज खोला गया है और इसमे पढाई भी प्रारभ हो गई है। साथ ही, यहॉ स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट खोला गया है और इन सभी मे कई चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मियों को नियुक्त किया गया है। पूर्व वर्षो की भॉति इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 मे रु० 5,50,00,00,000/–(रुपये पाँच अरब पचास करोड़) में से प्रथम किस्त के रूप मे व्यय हेतु रु0 1,38,00,00,000/– (रुपये एक अरब अड़तीस करोड़) मात्र का सहायक अनुदान स्वीकृत विभागीय राज्यादेश संख्या–231(7B), दिनांक–18.05.2026 द्वारा प्रदान की गयी थी। पुनः संस्थान को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में द्वितीय किस्त के रूप में रु० 92,00,00,000/– (रुपये बानवे करोड़) मात्र का सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(2) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.1998, 2880/वि0(2),दिनांक–06.05.2006, 2938/वि0(2),दिनांक–08.04.2008, 3758/वि0, दिनाक–31.05.2017, 4443/वि0, दिनाक–14.06.2018 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(3) इस राशि के व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0017–इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, विपत्र कोड–20–2210051050017 के अन्तर्गत इस निमित्त विषय शीर्ष कोड 0017–31–04 सहायक अनुदान–वेतन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 मे उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(4) इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वशासी संस्थान है, अतएव इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

(5) अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से निदेशक, इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA003 विपत्र कोड–00-8448001200068-0001 के अन्तर्गत ledger ID-11798 में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र मे प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

(6) राज्यादेश में वित्त विभाग द्वारा सशर्त्त सहमति निम्नरूपेण प्राप्त है:–

(क) विमुक्त की जाने वाली राशि की एकमुश्त निकासी कोषागार से नहीं किया जाय बल्कि, माहवार वेतनादि मद में देय राशि की निकासी पी०एल० खाते के माध्यम से किया जाय तथा अनावश्यक राशि बैंक खाते में पार्क नहीं किया जाय।

(ख) 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार से करा लिया जाय।

(ग) संबंधित कर्मियों के वेतनादि एवं पेंशनादि का भुगतान सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाय।

(घ) राशि की निकासी एवं व्यय बजटीय उपबध के अधीन वित्तीय प्रावधानो एव समय–समय पर निर्गत वित्त विभागीय अनुदेशो के आलोक मे किया जाय।

(7) राज्यादेश मे माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(8) इसमें महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(9) इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

3.8.26

(अंशु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–7/एम०सी०एच०–35–29/2021–317 (78)/स्वा0, पटना, दिनाक–03/08/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी–7बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निदेशक, इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

317 (7B)
03/08/2026

3.8.26

सरकार के अपर सचिव